संपादकीय जागरण

रविवार, 15 अप्रैल, 2018 : वैशाख कृष्ण 14 वि. 2075

भविष्य का भय वर्तमान को नष्ट करता है

प्रधानमंत्री का आश्वासन

यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल कठुआ और उन्नाव की घटनाओं पर, बल्कि अनुसूचित जातियों-जनजातियों को उत्पीड़न एवं भेदभाव से बचाने वाले एससी-एसटी एक्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिना किसी लाग-लपेट कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विगत दिवस दिल्ली में आंबेडकर स्मारक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने एससी-एसटी एक्ट के मामले में यह प्रतिबद्धता प्रकट की कि इस कानून को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके, इसके लिए विशेष अदालतें भी बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि आवश्यकता पड़ी तो एससी-एसटी एक्ट को सक्षम बनाने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। अच्छा होगा कि ऐसी नौबत न आए। ऐसा तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका का निपटारा करते समय यह देखेगा कि उसके दिशा-निर्देश कहीं इस कानून को कमजोर करने का कारण तो नहीं बन जाएंगे? सैद्धांतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण से असहमत नहीं हुआ जा सकता कि किसी भी कानून का अनुचित इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सभी कानूनों के मामले में होना चाहिए। हैरत नहीं कि उसके दिशा-निर्देशों पर आपत्ति का एक कारण यह हो कि जब अन्य कानूनों के तहत शिकायत मात्र पर आरोपित की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर एससी-एसटी एक्ट के मामले में ही दिशा-निर्देश क्यों जारी किए गए? कानूनों के दुरुपयोग को रोकने का कार्य किसी एक कानून तक सीमित नहीं होना चाहिए। इस क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून न तो ऐसे हों कि उनका दुरुपयोग होने लगे और न ही ऐसे कि वे पीड़ितों के हितों की रक्षा करने में समर्थ न साबित हों। प्रधानमंत्री ने यह जो भरोसा दिलाया कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को न्याय दिलाने के लिए अलग अदालतें बनाई जाएंगी उसके अनुरूप कदम उठाते समय यह भी देखना होगा कि ये अदालतें सचमुच सक्षम साबित हों।

जिस तरह अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सक्षम बनाने की चुनौती है उसी तरह दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के सिलसिले को भी। केंद्र सरकार को केवल यही नहीं सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्नाव और कठुआ की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोग बख्शे न जाएं, बल्कि इस पर भी निगाह रखनी चाहिए कि इस घिनौने अपराध का कोई भी दोषी बचने न पाए। इसमें संदेह है कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मौत की सजा का कानून बनाने भर से बात बन जाएगी। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले पोक्सो कानून की धाराओं को सख्त करने की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल वक्त की मांग अवश्य है, लेकिन ऐसी कोई पहल तब उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बनेगी जब पुलिस की जांच एवं अदालती प्रक्रिया भी चुस्त-दुरुस्त होगी। बेहतर होगा कि कानूनों में आवश्यक फेरबदल करने के साथ ही पुलिस एवं न्यायिक तंत्र को दुरुस्त करना भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बने। जब ऐसा होगा तभी प्रधानमंत्री का आश्वासन पूरा होता नजर आएगा।

तीमारदारों की सुध

प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कालेजों की व्यवस्था सुधारने की दिशा में कदम उठाकर मरीजों और तीमारदारों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। वस्तुतः मरीजों के तीमारदारों को अस्पतालों में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मेडिकल कालेजों में इनके लिए आवश्यक सुविधाओं का घोर अभाव तो देखने को मिलता ही है, प्रायः कर्मचारियों का व्यवहार भी सद्भावपूर्ण नहीं नजर आता। सरकार ने गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, झांसी व मेरठ में आधुनिक वेटिंग रूम बनाए जाने का फैसला किया है लेकिन, जरूरी है कि इनमें शौचालयों की सफाई पर ध्यान दिया जाए और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी हों। देखने वाली बात होगी कि कैफेटेरिया में मरीजों और तीमारदारों के लिए सस्ती दर पर सामान मिलते हैं या नहीं। निजी क्षेत्रों को यदि यह व्यवस्था सौंपी जाती है तो उनकी मनमानी सामने आ सकती है।

स्ट्रेटजी सेल के आधार पर रोडमैप तैयार किया गया तो आने वाले दिनों में मेडिकल कालेजों के दिन बहुरे नजर आएंगे

पूर्व में अन्य संस्थानों में ऐसी शिकायतें आती रही हैं, जिससे सरकार को सबक लेकर कदम उठाने होंगे। प्रदेश में वर्तमान में 13 मेडिकल कालेज हैं और निकट भविष्य में इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाने वाली है। चूंकि प्रदेश की आबादी 22 करोड़ से अधिक है तो ऐसे में मेडिकल कालेजों के सुधार के लिए सघन कार्ययोजना बनाई जानी जरूरी है। पूर्व में सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए स्ट्रेटजी सेल का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। स्ट्रेटजी सेल के आधार पर रोडमैप तैयार किया गया तो आने वाले दिनों में मेडिकल कालेजों के दिन बहुरे नजर आएंगे।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

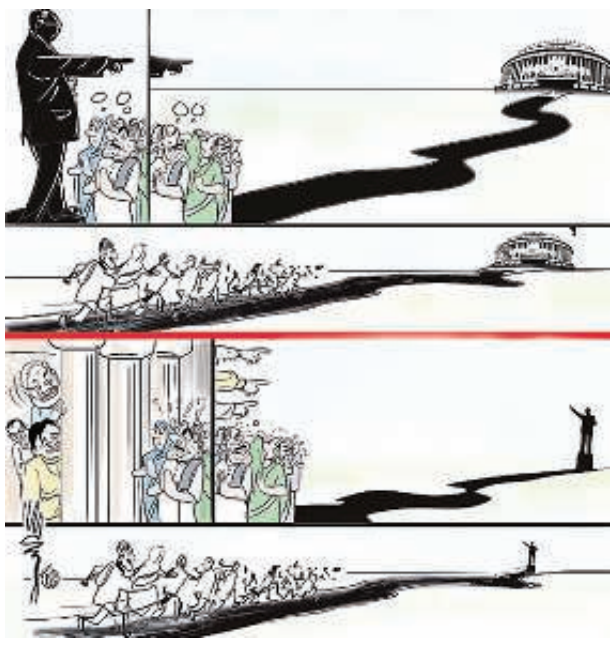

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आपको लगता है कि कावेरी जल विवाद के लिए आइपीएल मैच को बाधित करना सही है?

आज का सवाल

क्या बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में कुछ राज्यों की तर्ज पर पूरे देश में मृत्युदंड का कानून बनाया जाए?

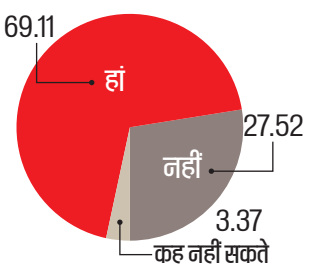

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

न्यायिक सुधार का अधूरा एजेंडा

संजय गुप्त

चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जारी उठापटक का समाधान केवल उच्चतर न्यायिक तंत्र को ही राहत देगा इसलिए निचली अदालतों के ढांचे को सुधारने की पहल कहीं ज्यादा जरूरी है

इस वर्ष जनवरी माह में जब सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके अपनी संस्था के आंतरिक प्रशासन की समस्याओं को सामने रखते हुए लोकतंत्र को खतरे में बताया था तब यह स्पष्ट हुआ था कि शीर्ष अदालत में सब कुछ ठीक नहीं है। इस प्रेस कांफ्रेंस ने सारे देश का ध्यान इसलिए खींचा था, क्योंकि चारों न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश पर यह आरोप भी लगाया था कि वह संवेदनशील मुकदमों को पसंदीदा बेंच में भेज रहे हैं। ऐसे आरोपों ने जनता को इसलिए अवाक किया, क्योंकि वह इस संस्था को निष्पक्ष संस्था के तौर पर देखने के साथ ही यह मानकर भी चलती है कि जब कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट सहारा बनेगा। उक्त प्रेस कांफ्रेंस के बाद ये संकेत दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश आपस में मिल-बैठकर समस्या हल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट में उठापटक कायम रही। इस उठापटक के जारी रहने से यही जाहिर हो रहा कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की चिंता केवल सुप्रीम कोर्ट की कथित आंतरिक समस्याओं तक ही सीमित है और उनके एजेंडे पर ऐसा कुछ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक की व्यवस्था सुधरे। अब तो ऐसा भी लगता है कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की चिंता को सुप्रीम कोर्ट के चुनिंदा वकीलों ने भी अपने अहं की लड़ाई का हिस्सा बना लिया है। इसका संकेत इससे मिलता है कि न्यायिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की बात कोई नहीं कर रहा।

पिछले दिनों न्यायाधीश चेलमेश्वर ने एक साक्षात्कार में कहा कि अगर दीपक मिश्रा के बाद रंजन गोगोई को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जाता तो वे आशंकाएं सच साबित होंगी जो उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में जताई थीं। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया जाना समस्या का हल नहीं। ज्ञात हो कि उन दिनों कुछ राजनीतिक दल और खासकर कांग्रेस जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की कवायद कर रही थी। न्यायाधीश चेलमेश्वर के इस साक्षात्कार के बाद उनके साथ प्रेस कांफ्रेंस करने वाले एक अन्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को एक चिट्ठी लिखकर कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उनका आग्रह था कि इस मामले में सरकार से सवाल पूछना चाहिए। कोलेजियम ने फरवरी में न्यायाधीश केएम जोसेफ और इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने न तो यह बताया कि कोलेजियम की सिफारिश मानने में देर क्यों हो रही है और न ही सिफारिश पर अपनी कोई आपत्ति प्रकट की। कोई स्पष्टीकरण न आने के चलते यह माना गया कि केंद्र सरकार केएम जोसेफ को इसलिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त नहीं करनी चाहती, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने संबंधी फैसले को उन्होंने ही खारिज किया था। समस्या केवल यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सवाल पर सवाल कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि कुछ वकील मुकदमों के आवंटन की व्यवस्था

अवधेश राजपूत

को लेकर अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं। वे मुकदमा आवंटन की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए याचिकाएं भी दायर कर रहे हैं। बीते दिनों एक ऐसी ही याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तय करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश को ही है कि कौन सा मामला किस बेंच को सौंपा जाएगा, लेकिन इसके बाद इसी आशय की एक और याचिका दायर कर दी गई। इसके पहले न्यायाधीश चेलमेश्वर ने ऐसी याचिका सुनने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि वह नहीं चाहते कि उनके फैसले को पलट दिया जाए। ऐसा कहकर उन्होंने एक बार फिर दीपक मिश्रा को निशाने पर लिया। यह रवैया इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मुकदमों के आवंटन में न्यायाधीशों की वरिष्ठता कोई आधार ही नहीं। इस फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के तो सभी जज अनुभवी होते हैं, चाहे वे हाईकोर्ट से आए हों या फिर बार से।

सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश पर निशाना साध रहे हैं वे यह नहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह मुकदमों के आवंटन में मनमानी हो रही है? एक ओर वे इसे आंतरिक मामला बता रहे हैं और दूसरी ओर उसे सार्वजनिक भी कर रहे हैं। उनकी ओर से यह भी साफ नहीं किया जा रहा कि संवेदनशील मामलों से उनका क्या आशय है? वे यह भी माहौल बना रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार के नजदीक हैं और फैसले केंद्र सरकार के मन मुताबिक दिए जा रहे हैं। विपक्ष इस माहौल का लाभ उठाने में लगा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने की पहल से तो यही साबित होता है। क्या यह विचित्र नहीं कि विपक्षी नेताओं ने महाभियोग लाने की बातें तो कीं, लेकिन यह नहीं बताया कि किस आरोप में?

यह कोई पहली बार नहीं जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच के मतभेद सामने आए हों। सुप्रीम कोर्ट में तमाम मसले ऐसे होते हैं जिनमें नैतिकता का सवाल होता है। इसे लेकर न्यायाधीशों के बीत मतभेद होते ही हैं और कई बार फैसला बहुमत के जरिये होता है। ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह स्वाभाविक नहीं कि न्यायाधीशों के बीच के मतभेद हद से ज्यादा बढ़ जाएं। सुप्रीम कोर्ट में विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार को न्यायिक व्यवस्था में सुधार के साथ जजों की नियुक्ति प्रणाली में बदलाव की पहल करनी चाहिए। वैसे भी कोलेजियम के जरिये न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली दोषपूर्ण साबित हो चुकी है। ऐसा शायद ही कोई लोकतांत्रिक देश होगा जहां जजों की नियुक्ति खुद जज ही करते हों। कोलेजियम प्रणाली के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और मेमोरेंडम आफ प्रोसिजर का मामला भी अभी अधर में है।

आवश्यक केवल यह नहीं कि केंद्र सरकार न्यायिक नियुक्ति आयोग को नए सिरे से बनाने की पहल करे, बल्कि यह भी है कि निचली अदालतों में मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करने का कोई उपाय निकाले, क्योंकि इससे बड़ी विडंबना कोई और नहीं कि आम लोगों को समय पर न्याय न मिले। यह समय पर न्याय न मिल पाने का ही दुष्परिणाम है कि सामाजिक असंतोष के साथ-साथ उत्पीड़न-शोषण और भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर निचले स्तर पर न्याय आसानी से और समय पर उपलब्ध हो तो उसका सीधा लाभ समाज में बढ़ती खाई को पाटने के रूप में मिलेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जारी उठापटक का समाधान केवल उच्चतर न्यायिक प्रणाली को ही राहत देगा इसलिए निचली अदालतों के न्यायिक ढांचे को सुधारने की पहल कहीं ज्यादा जरूरी है। ध्यान रहे कि निचली अदालतों में जहां करीब पौने तीन करोड़ मुकदमे लंबित हैं वहीं न्यायाधीशों के लगभग पांच हजार पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त निचली अदालतों की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत है। हैरत की बात है कि इस जरूरत की पूर्ति हो, इसके लिए मुश्किल से ही कोई जनहित याचिका लगती है और दूसरी और सुप्रीम कोर्ट की कथित समस्याओं को लेकर याचिकाओं का अंबार लगा है। अब जब यह स्पष्ट है कि निचली अदालतों के समाधान को लेकर न तो उच्च न्यायालय सक्रियता दिखा रहे हैं और न ही राज्य सरकारें तब फिर केंद्र सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना ही चाहिए।

response@jagran.com

पुलिस सुधारों की सुध लेने से इन्कार

विक्रम सिंह

यदि पुलिस सुधारों पर अमल नहीं किया जाएगा तो उन्नाव और कठुआ जैसे अपराध रोकने मुश्किल ही होंगे

पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के उन्नाव और जम्मू-कश्मीर के कठुआ के यौन हिंसा से संबंधित अपराधों पर धरना-प्रदर्शन से लेकर टीवी चैनलों पर जोरदार बहस जारी है। इन दोनों मसलों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी कायम है। कांग्रेस ने इन गंभीर मसलों को लेकर कैंडल मार्च भी निकाल डाला, लेकिन क्या हम इसकी अनदेखी कर दें कि पुलिस सुधारों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों पर अमल करने की जहमत न तो कांग्रेस ने उठाई और न ही भाजपा ने। निःसंदेह उन्नाव और कठुआ के मामले एक जैसे नहीं, लेकिन दोनों ही मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। यह इसीलिए है, क्योंकि शासन-प्रशासन ने समय रहते सही और सख्त कदम नहीं उठाए।

इन दोनों ही मामलों में यह भी साझा पहलू है कि पुलिस की ही कार्यप्रणाली से हालात बिगड़े। हालात संभालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उन्नाव के मामले को सीबीआइ के हवाले कर दिया, लेकिन जम्मू-कश्मीर सरकार ने अभी तक ऐसा कोई फैसला करने के संकेत नहीं दिए हैं, जबकि जम्मू के कुछ संगठन ऐसा ही चाह रहे हैं। यह बात और है कि इस चाहत की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ रही है। घृणित अपराध को हिंदू-मुस्लिम के नजरिये से देखना क्षुद्रता ही है। कठुआ में आठ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के बारे में जो जानकारी अब तक सामने आई है वह सिहरन पैदा करने वाली है। ऐसी घटना सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। बेशक उन्नाव की घटना भी कम भयावह नहीं, क्योंकि पीड़ित युवती के पिता की एक तरह से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हालांकि सीबीआइ ने जांच अपने पास आते ही आरोपित विधायक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी यह सामने आना शेष है कि विधायक पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है? यह तो साफ है कि विधायक के भाई ने युवती के पिता को बुरी तरह पीटा और पुलिस ने उसकी मदद करने के बजाय उसे ही जेल भेज दिया जहां इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई।

कठुआ और उन्नाव की घटना के हवाले से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि वह पोक्सो कानून में बदलाव लाकर 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मौत की सजा के प्रावधान के लिए पहल करेंगी। ऐसे ही कानून हरियाणा, मध्यप्रदेश अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने भी बनाए हैं। यह सुनने में तो अच्छा लगता है कि बच्चियों से दुष्कर्म के अपराधियों को मौत की सजा का कानून बनेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि निर्भया के हत्यारों को अभी तक मौत की सजा को क्यों नहीं मिल सकी? आखिर जो सरकार निर्भया फंड को महिलाओं की सुरक्षा में इस्तेमाल करने का तौर-तरीका नहीं खोज पा रही है वह बच्चियों के दुष्कर्मियों को मौत की सजा कैसे दिलवा पाएगी? क्या कारण है कि किसी राजनीतिक दल का कोई नेता यह कहने का साहस नहीं कर रहा है कि पुलिस सुधारों पर अविलंब अमल किया जाए?

सीबीआइ में पुलिस के ही अधिकारी होते हैं, लेकिन वह सक्षम नजर आते हैं तो इसीलिए, क्योंकि उन पर नेताओं का दबाव नहीं होता। यदि पुलिस सुधारों की दिशा में आगे नहीं बढ़ा गया तो हमारी पुलिस और अधिक अपंग ही होगी और उसकी बची- खुची धार भी खत्म हो जाएगी। राजनीतिक नेतृत्व पुलिस सुधारों की दिशा में इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि शायद वह यह जानता है कि एक बार पुलिस के तंत्र और स्वभाव में सुधार आ गया तो फिर वह उससे अपने अनर्गल और अनुचित कार्य नहीं करा सकेगा।

बेशक पुलिस सुधारों के साथ यह भी जरूरी है कि दुष्कर्म सरीखे संगीन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में हो और फास्ट ट्रैक अदालतों का मतलब दिन प्रतिदिन सुनवाई ही होना चाहिए। यह जिम्मेदारी आरोपित पर होनी चाहिए कि वह अपनी बेगुनाही साबित करे। यदि राजस्थान में दुष्कर्म के कुछ मामले मामलों पर 10-15 दिनों में विचारण करके फैसला दिया जा सकता है तो ऐसा ही अन्य मामलों में क्यों नहीं हो सकता? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि राजनेताओं में पुलिस और न्यायिक सिस्टम को सुधारने की इच्छाशक्ति नहीं है।

इच्छाशक्ति के अभाव में ही अपराधों और आपराधिक तत्वों पर प्रभावी लगाम नहीं लग पा रही है। राजनीतिक इच्छाशक्ति का यह अभाव मादक पदार्थों की बेलगाम बिक्री और इंटरनेट के जरिये फैलती अश्लीलता पर रोक के मामले में भी नजर आती है। यदि देश का राजनीतिक नेतृत्व दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं एवं अन्य संगीन अपराधों को लेकर वास्तव में चिंतित है और यह चाहता है कि पुलिस और अधिक सक्षम एवं प्रभावी बल के रूप में सामने आए तो फिर उसे एक दशक से लंबित पड़े पुलिस सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्नाव और कठुआ जैसे मामले आगे भी देखने को मिल सकते हैं और समय के साथ जनता में असंतोष भी बढ़ता जाएगा। पुलिस सुधारों में पहले ही बहुत देर हो चुकी है उन्हें अब और नहीं टाला जाना चाहिए।

(लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर-दर्शन

'संपूर्ण शक्तियों का भंडार, संपूर्ण विश्व का सुयोग्य संचालक, समस्त चेतना का झरना ईश्वर ही है।' इस सत्य को स्वीकार कर लेने से और इसी पर ध्यान करने से हमारे और आपके मध्य जितने भी पर्दे हैं, एक-एक करके सभी हट जाएंगे और एक दिन आप और ईश्वर एक हो जाएंगे। बस यही प्रथम सत्य है। 'शिव' शब्द का अर्थ ईश्वर और कल्याण है। यदि आप शिव को प्राप्त कर लेंगे तो परमपिता शिव स्वयमेव ही प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको किसी भी सांसारिक वस्तु की जरूरत हो तो विश्व के स्वामी से मिलो और फिर उससे मांगो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में उसी का शासन है। उस तक पहुंचने के मार्ग अलग-अलग अवश्य हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य वही होता है।

सत्य का दूसरा स्वरूप आत्मा है। आत्मा का वाचक 'मैं' है। इस 'मैं' के भीतर ही प्रथम सत्य प्राप्त कर लेने की शक्ति निहित है अथवा इस दूसरे सत्य में ही पहला सत्य छिपा हुआ है। तात्पर्य यह है कि पहले तो दोनों सत्य समझकर सत्य समझ लेने की आवश्यकता है। वह और मैं (ईश्वर व जीव) इसी का नाम द्वैतवाद है। फिर जैसे-जैसे ध्यान का अभ्यास बढ़ता जाता है, वैसे-ही-वैसे यह द्वैत भावना कमजोर होती जाएगी और 'मैं' भूलता जाता है। जिस समय 'मैं' बिल्कुल भूलकर इसके पहले की स्थिति में जाएगा, बस उसी अवस्था का नाम अद्वैत-अवस्था है। यही सबसे ऊंची अवस्था होती है। यहां तक पहुंचने वाले साधक को प्रेम, जीवन, बुद्धि, आरोग्य, शक्ति व प्रसन्नता-ये सभी प्राप्त हो जाते हैं। एक पहुंचे हुए सिद्ध साधक के यही उत्तम लक्षण हैं।

दुखी मनुष्यों के दुखों को मिटाने में ही सिद्ध मनुष्य अपनी सिद्धियों का उपयोग करते हैं। रात-दिन में किसी भी समय एकांत में बैठकर पहले अनेक बार श्वास-प्रश्वास कीजिए। फिर शांति से अनुभव करें कि एक ऐसी वस्तु सर्वत्र भरी हुई है जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंदरूपी समुद्र है- वह मेरे भीतर-बाहर, ऊपर-नीचे, सर्वत्र पूर्ण है। सभी मनुष्यों में परमात्मा है। परमात्मा सम्पूर्ण शक्तियों के भंडार हैं। परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग ध्यान है। ध्यान के द्वारा मनुष्यों की सब इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। विरले ही साधक, साहसी और भाग्यवान लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। इसके लिए आंतरिक बल को जागृत करना होता है।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

तथ्य-कथ्य | किस देश के कितने फेसबुक यूजर्स का डाटा चोरी

(आंकड़े लाख में)

स्रोत : फेसबुक

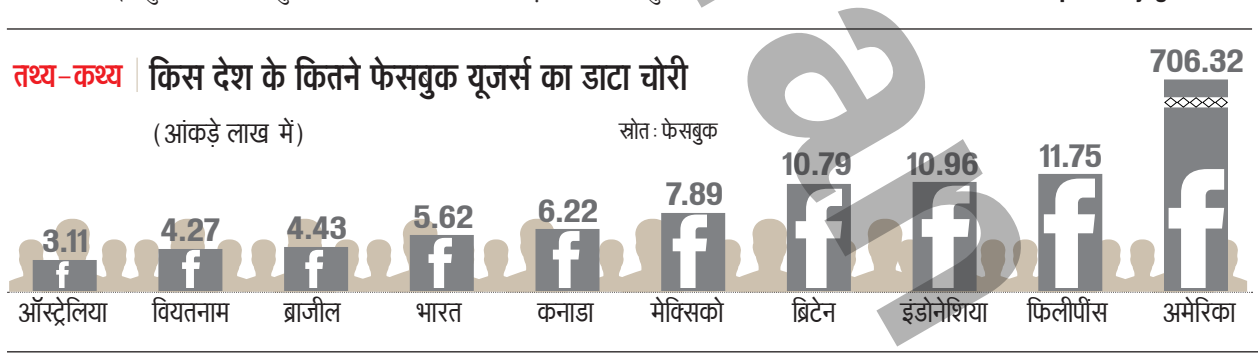

क्लास से कास्ट तक

अगले लोकसभा चुनाव में महज एक साल का वक्त है और विभिन्न राजनीतिक दल मुद्दों को परखने और धार देने में जुट गए हैं। ऐसे में वामदल भी राजग के खिलाफ बड़ा धड़ा बनाने की वकालत तो कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने घटते आधार से परेशान हैं। पश्चिम बंगाल में जनाधार हर साल कम होता जा रहा है। त्रिपुरा में गढ़ ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में अब पार्टी अपने पुराने सिद्धांत से भी हटती नजर आए तो आश्चर्य नहीं। दरअसल उन्हें यह सच्चाई समझ आ गई है कि भारतीय राजनीति में जाति बहुत अहम है। और जाति की राजनीति करने से ज्यादा उसे बोलने की जरूरत होती है। अब तक वामदल वर्ग की राजनीति करते रहे हैं जो उन्हें बहुत रास नहीं आ रही है। बताते हैं कि वामदल नेताओं के मन में यह विचार उमड़ने घुमड़ने लगा है कि अब यह दिखाना भी होगा कि उन्हें जातिवादी राजनीति से परहेज नहीं है। भई, अस्तित्व बचाना है तो रूप रंग शक्ल को बदलने ही होंगे। अगले एक पखवाड़े में माकपा और भाकपा की लंबी बैठकें होने वाली है।

बाजार का असर !

सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी जगजाहिर है और जब इन देशों के पेट्रोलियम मंत्रियों की बात हो तो यह दुश्मनी और मुखर हो जाती है। इसकी वजह यह है कि क्रूड यानी कच्चे तेल की कीमतें घटने के बाद दोनों देश ज्यादा से ज्यादा क्रूड बेचने के चक्कर में एक दूसरे के हितों पर प्रहार करने से बाज नहीं आते, लेकिन भारत में स्वार्थपूर्ति के लिए ही सही यह दुश्मनी घुलती नजर आई। पिछले दिनों भारत में संपन्न इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की बैठक में सऊदी अरब के तेल मंत्री खालिद अल फलह भी उपस्थित थे और ईरान के पेट्रोलियम मंत्री बीई जंगनेह भी शामिल थे। दो दिनों तक चले इस सम्मेलन में इन दोनों देशों के मंत्रियों को कई बार पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मंच साझा करना पड़ा था। यह इन दोनों देशों की जरूरत कहिए या पेट्रोलियम मंत्री प्रधान की मौजूदगी का असर रहा हो, लेकिन जब भी सार्वजनिक तौर पर इन्होंने मंच साझा किया तो एक दूसरे के प्रति गर्मजोशी दिखाने में कोई कमी नहीं की। अब देखना होगा कि वतन वापसी पर दोनों के बीच यह गर्मजोशी कितनी कायम रहेगी।

राजरंग

सिंह इज स्टिल किंग

बजट सत्र के दौरान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने के कांग्रेस के प्रस्ताव पर मामला गर्म रहा था। हालांकि खुद कांग्रेस की ओर से कभी भी सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इससे इन्कार भी नहीं हुआ। यूं तो पार्टी के अंदर ही इसे लेकर विरोध भी था, लेकिन माना जा रहा है कि इस विचार को त्यागने का फैसला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से विमर्श के बाद हुआ था। उन्होंने ही राजनीतिक स्तर पर सरकार से लड़ाई लड़ने की सलाह दी थी। यानी कह सकते है कि मनमोहन सिंह भले ही कम बोलते हों लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात को अमल में ले आना जरूरी हो जाता है।

चार्जर तैयार, कार का इंतजार

सरकारी धन कैसे खर्च करना है, इसके हजार नुस्खे बाबुओं को आते हैं। नीति आयोग के अधिकारी भी इस काम में पीछे नहीं हैं। उनका नया कारनामा एक इलेक्ट्रिक कार चार्जर को लेकर है। दरअसल आयोग ने इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के लिए एक चार्जर लगवाया है। जब से यह चार्जर लगा है आसपास के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इसे लगाने पर भारी भरकम रकम भी खर्च की गई है। बताया जाता है कि आयोग ने इलेक्ट्रिक कारें खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन नॉर्थ ब्लॉक में बैठने वाले बाबुओं ने इस पर पानी फेर दिया है। यही वजह है कि आयोग अब इलेक्ट्रिक कारें उधार लेने की योजना बना रहा है। अब यह योजना कितनी सफल होती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो चार्जर लग चुका है और कार आने का अभी इंतजार है।

ट्वीट-ट्वीट

मायावती प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दे रही हैं कि बाबा साहब से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल कर दलितों का भला नहीं होने वाला तब क्या अनुसूचित जातियों का कल्याण वैसे होगा जैसे मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश में गुलाबी पत्थरों से अपने और हाथियों के मंदिर बनाकर किया था।

कंचन गुप्ता@KanchanGupta

एक आदिवासी महिला को चप्पलें देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का झुकना यकीनन एक अच्छी मिसाल है, लेकिन जरा देश की इस हालत पर भी सोचिए कि हमें गरीबों को उपहार के तौर पर हवाई चप्पलें भेंट करनी पड़ रही हैं।

राहुल पंडिता@rahulpandita

राष्ट्रीय फिल्म अवॉर्ड की अगुआई करना आंखें खोलने वाला साबित हुआ। क्षेत्रीय सिनेमा की गुणवत्ता ने हम सभी को हतप्रभ कर दिया। विश्वस्तरीय सामग्री से भरपूर सिनेमा की इस धारा पर से अब क्षेत्रीय का ठप्पा हटा देना चाहिए।

शेखर कपूर@shekharkapur

बैडमिंटन कोर्ट की हमारी शहजादियां साइना नेहवाल और पीवी सिंधू राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। किसी देश को और क्या चाहिए? हमें यह मौका मुहैया कराने के लिए गुरु गोपीचंद का शुक्रिया।

राजेश कालरा@rajeshkalra

जनपथ

बाबा साहब नाम की दिखती चहुंदिश लूट,
सबको चिंता वोट की कहीं न जाएं टूट।
कहीं न जाएं टूट भीम की महिमा गाओ,
फिर चुनाव में थोक भाव में वोट कमाओ।
राजनीति में आज चलेगा उसका ढाबा,
कृपादृष्टि जिस ओर फिरा दें साहब बाबा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 270